न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 17/2020

उनवान

अनिता पत्नी जगदीश जाति माहेश्वरी नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
—— प्रार्थीया :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 1.12.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.38, 269 रकबा 0.35, 267 रकबा 0.09 व 268 रकबा 0.45 की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी प्रार्थीर्या की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है। प्रार्थीया के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थीया कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 270 में से आवागमन करती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीया के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रस्ता विधमान नही है। ग्राम लोहरवाडा के खसरा नम्बर 270 रकबा 0.22 सिवायचक आराजी है। प्रार्थीया अपने खातेदारी खेतों में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 270 सिवायचक का उपयोग करते हुये गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 255 पर आते–जाते है। प्रार्थीया अपने खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 270 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहती है जिस हेतु प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शायी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु ग्राम लोहरवाडा के सिवायचक खसरा नम्बर 270 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। एवं उक्त रास्तें का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.38, 269 रकबा 0.35, 267 रकबा 0.09 व 268 रकबा 0.45 की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीया सिवायचक खसरा नम्बर 270 में से मार्ग का अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट अनुसार के प्रार्थीया की आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। मुख्य रास्ता ख0न0 255 है जो राजस्व अभिलेख में गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। मुख्य रास्ते व प्रार्थीया के खेत के बीच सिवायचक खसरा नम्बर 270 है जिसमें से प्रार्थीया द्वारा रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 43 मीटर व चौडाई 9 मीटर है तथा कुल क्षेत्रफल 387 वर्ग मीटर व डी0एल0सी0 दर से राशि 16410/ बनती है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। हाल खसरा नम्बर 266 रकबा 0.38, 269 रकबा 0.35, 267 रकबा 0.09 व 268 रकबा 0.45 की आराजी प्रार्थीया की खातेदारी की है।

मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के पास कोई रास्ता उपलब्ध नही है। चाहे गये मार्ग की आंत्यंतिक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के तथ्यों की ताईद होती है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 270 में से 43 मीटर गुणा 9 मीटर कुल 387 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 32820/ अक्षरे बत्तीस हजार आठ सौ बीस रूपये प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested